केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

6वां, 7वां, एवं 8वां तल, टावर–बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,
नौरोजी नगर, नई दिल्ली–110029
वेबसाइटः www.cercind.gov.in

सत्यमेव जयते

यांचिका सं.247/टीएल/2025 दिनांकः 15.5.2025

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

बीजापुर आरईज़ेड ट्रांसमिशन लिमिटेड, ऊर्जानिधि, पहली मंजिल, 1, बाराखम्बा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली –110001 द्वारा निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण आधार पर अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली, अर्थात् "कनार्टक में बीजापुर आरईजेड के एकीकरण के लिए पारेषण योजना" (जिसे इसके पश्चात् "परियोजना" कहा गया है) कार्यान्वित करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धाराओं 14, 15 और 79(1)(ङ) के अधीन आवेदन किया गया हैः

क्रम सं.	पारेषण घटक का नाम	अनुसूचित सीओडी
1	बीजापुर (विजयपुरा), कर्नाटक के निकट 400/220 केवी 5x500 एमवीए पूलिंग स्टेशन की स्थापना • 400/220 केवी, 500 एमवीए, आईसीटी–5 नंबर • 400 केवी आईसीटी बे – 5 नंबर • 220 केवी आईसीटी बे – 5 नंबर • 400 केवी लाइन बे – 2 नंबर (बीजापुर पीएस पर बीजापुर पीएस – रायचूर न्यू लाइन की समाप्ति के लिए) • 220 केवी लाइन बे – 10 नंबर • 220 केवी सेक्शनलाइजरः 1 सेट • 220 केवी बस कपलर (बीसी) बे– 2 नंबर • 220 केवी ट्रांसफर बस कपलर (टीबीसी) बे – 2 नंबर **भावी स्थान प्रावधानः** • 400/220केवी, 500 एमवीए , आईसीटी – 5 नंबर • 400 केवी आईसीटी बे – 5 नंबर • 220 केवी आईसीटी बे – 5 नंबर • 400 केवी लाइन बे – 6 नंबर (एसएलआर के लिए प्रावधान के साथ) • 220 केवी लाइन बे – 14 नंबर • 220 केवी सेक्शनलाइजरः 2 सेट • 220 केवी बस कपलर (बीसी) बे – 2 नंबर • 220 केवी ट्रांसफर बस कपलर (टीबीसी) बे – 2 नंबर	प्रभावी तारीख (अर्थात् एसपीवी का अंतरण) से 24 मास (16.01.20277)
2	बीजीपुर पीएस – रायचूर न्यू 400 केवी (क्वाड एसीएसआर मूज) डी/सी लाइन • 400 केवी लाइन बे – 2 नंबर (रायचूर न्यू पर)	
3	बीजापुर पीएस पर 2x125 एमवीएआर 420 केवी बस रिएक्टर • 420 केवी, 125 एमवीएआर बस रिएक्टर – 2 नंबर • 420 केवी, 125 एमवीएआर बस रिएक्टर बे – 2 नंबर	

2. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 28.1.2025 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित पारेषण प्रणाली स्थापित करने के लिए पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।
3. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 247/टीएल/2024 में दिनांक 14.5.2025 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।
4. **बीजापुर आरईज़ेड ट्रांसमिशन लिमिटेड** को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट **www.grinfra.com** पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित किया जा सकता है।
5. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक **28.5.2025** तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. आयोग द्वारा दिनांक **29.5.2025** को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/–
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
सचिव